दिनांक 6.08.2016 को पूर्वान्ह में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा स्थित थाना बाघराय प्रतापगढ़ में आयोजित "समाधान दिवस" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी ।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–3, दिनांक 14.06.2014 जन समस्याओं के निस्तारण हेतु समाधान दिवस के कम में आज दिनांक 6.08.2016 को पूर्वान्ह में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा के थाना बाघराय में आयोजित समाधान दिवस का पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री एम0पी0 वर्मा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़, श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह थानाध्यक्ष बाघराय, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

1. निरीक्षण के दौरान लेखपालों की उपस्थिति के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने पर मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त थाना क्षेत्रान्तर्गत कुल 19 लेखपालों कार्यरत हैं, जिनके सापेक्ष आज समाधान दिवस के दौरान कुल 03 लेखपाल अनुपस्थित हैं, जिनका हल्कावार विवरण निम्नवत् है :–

क0	लेखपाल का नाम	हल्का का नाम
1.	मो0 अयूब खॉ	बारौं
2.	श्री राम सिंह	उमरा पट्टी
3.	श्री रामबली सिंह	कोर्रही

उपर्युक्त अनुपस्थित लेखपाल‥ के आज दिनांक 6.08.2016 के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश रोक लगाते हुए उप जिलाधिकारी कुण्डा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त लेखपालों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

—————2

2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थाना क्षेत्रान्तर्गत समाधान दिवस में आने वाले लेखपालों की उपस्थित का विवरण एक सादे रजिस्टर पर कराया गया है, जिसमें लेखपालों द्वारा स्वयं अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर किया गया था, उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा गत माह में सम्पन्न थाना कोतवाली नगर एवं थाना कंधई में सम्पन्न समाधान दिवस के दौरान समस्त उप जिलाधिकारियों/ थानाध्यक्षों को 06 विन्दुओं की पेशानी पर रजिस्टर तैयार कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण हल्कावार लेखपालों की मौके पर उपस्थिति नहीं ली जा सकी। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी कुण्डा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा भविष्य में आयोजित होने वाले समाधान दिवसों पर उपरोक्त प्रारूप पर रजिस्टर तैयार कर लेखपालों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें।

क0	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक/लेखपाल का नाम	आवंटित क्षेत्र का नाम	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

3. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गत में आयोजित समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतें अत्यन्त ही कम है और आज पूर्वान्ह 10.30–11.30 बजे के अन्तराल में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष मात्र 04 शिकायतकर्ता उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट है कि समाधान दिवस का पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी/तहसीलदार एवं थानाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्यकम का अपने–अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करायें जिससे समाधान दिवस के दिन भूमि विवाद से सम्बन्धित अधिक से अधिक शिकायतें प्राप्त हों और उनका राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराकर तत्काल समाधान हो सके।

4. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि समाधान दिवस से सम्बन्धित रजिस्टर को अद्यावधिक पेशानी पर नहीं बनाया गया है जिसमें किस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी का विवरण अंकित नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष को निर्देशित रजिस्टर का तत्काल नियत पेशानी पर तैयार कराकर अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करें।

5. निरीक्षण के दौरान अपराध रजिस्टर के अवलोकनोपरांत पाया गया कि मुकदमा अपराध संख्या : 135 वर्ष–2015 तथा मुकदमा अपराध संख्या : 24, 73, 78, 112, 113, 118, 130, 144, 164 वर्ष 2016 एस0सी0/एस0टी0 से सम्बन्धित प्रकरण अभी भी पूर्ण विवेचना न होने के कारण लम्बित हैं। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी सदर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरणों का स्वयं परीक्षण कर 15 दिवस के भीतर नियमानुसार निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

6. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित लेखपालों से पूँछतांछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में उनकी सम्बन्धित ग्रामों में सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याओं के प्राप्त प्रार्थना–पत्र एवं उनके निस्तारण से सम्बन्धित रजिस्टर नहीं बनाया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही

————3

आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी कुण्डा को निर्देशित किया जाता है कि स्वयं के पर्यवेक्षण में उक्त रजिस्टर निर्मित कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

7. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित अधिकांश लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक बिना पूर्ण अभिलेखों / रजिस्टरों के साथ उपस्थित रहें इससे स्पष्ट है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राजस्व कर्मियों द्वारा पर्याप्त रुचि नहीं ली जा रही है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी कुण्डा को निर्देशित किया जाता है कि आज समाधान दिवस के दौरान मौके पर उपस्थित राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से समस्त राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों को निर्देशित करें कि भविष्य में आयोजित होने वाले समाधान दिवस के दौरान अपने-अपने बस्तें एवं उसमें रखे जाने वाले समस्त अभिलेख / रजिस्टर अद्यावधिक स्थिति में रखें।

8. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में काफी संख्या में लावारिस 02 एवं 04 पहिया वाहन खड़े हैं। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि उक्त लावारिस एवं निष्प्रयोज्य वाहनों के निस्तारण हेतु तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
ज़िलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 189 / शिविर-2016

दिनांक : अगस्त 06, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिरीक्षक महोदय, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद।
3. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) / मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी / पश्चिमी), प्रतापगढ़।
6. उप जिलाधिकारी कुण्डा / क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतापगढ़।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. अन्य समस्त सम्बन्धित।

6/8/2016
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।